

**ग्राम पंचायत लेही, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन,
हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024**

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत लेही, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति कृष्णा देवी	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री दर्शन कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत लेही के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तःशेष में अन्तर पाया जाना	13.38
2	4.2	रोकड़ बहियों में फर्जी प्रविष्टियाँ पाई जाना	1.88
3	4.5	दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत राशि हस्तगत नकद शेष का पाया जाना	0.18
4	4.6	कमरे के किराये से प्राप्त को रोकड़ बही में कम लेखांकन न करना	0.02
5	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	9.04
6	7.1 (क, ग)	दुकानों/कमरों के किराये से आय	0.58
7	8.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	1.51
8	8.2	निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर आर्डर, माप आंकलन, तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करना	34.35
9	8.3	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को	1.61

		रॉयल्टी के रूप में राशि ₹0.59 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि	
10	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	17.13
11	9	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना	2.20
12	13.1	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	9.81
13	14	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना	0.05
15	15	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करना	0.07

भाग - दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत लेही, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02.08.2024 से 09.08.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	07/22	09/22
2023-24	03/24	08/23

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 14/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 62 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण शुल्क की राशि को ग्राम पंचायत की बैठक में पारित करके शीघ्र ही बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेज दिया जाएगा।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अध्याचना क्रमांक 11/2024 दिनांक 02.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट - "क व ख" में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	588798.21	2330230.15	2919028.36	2249139.65	669888.71
2023-24	669888.71	1168209.00	1838097.71	775270.00	1062827.71

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹) (कालम 2+3)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹) (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1573868.35	5334746.20	6908614.55	5404450.70	1504163.85
2023-24	1504163.85	1508135.00	3012298.85	2108086.00	904212.85

कुल योग (1+2) = 1062827.71 + 904212.85 + 17701.00 (नगद शेष) = **1984741.56**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के तथा बैंक खातों में राशि के अन्तशेष **₹656823.00** (परिशिष्ट - "ग") से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 4TH SFC, 5TH SFC, 14TH FC, MPLADS, PMGSY, RAYEAAAY, VKVNY, VMJS,	HDFC नालागढ़	501000199789472	278411.50
2	SBM	HDFC किशनपुरा	50100214673101	0.00
3	IAAY, RAYEAAAY, SBM,	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक बढ़ी	101334022000143	0.00
4	3RD SFC, 4TH SFC, 14TH FC, MPLADS, NRHM, SBM, 13TH FC, VKVNY, VMJS	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक नालागढ़	101334022000220	0.00
5	सभा निधि / SF, 14वां वित्तायोग / 14FC	HDFC किशनपुरा	50100220597247	0.00
6	15वां वित्तायोग / 15FC	HDFC किशनपुरा	50100347861395	378411.50
जोड़				656823.00
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				1984741.56
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				656823.00
अंतर :-				1327918.56

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि
₹13.28 लाख का अत्यधिक अन्तर पाया जाना:-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7

(3) व.10 (1) के अनुसार पंचायतों के रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को ₹13,27,918.56 की राशि का अन्तर पाया गया। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए व अंकेक्षण को दिये नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 रोकड़ बहियों में राशि ₹1.88 लाख की अनुचित/संदिग्ध प्रविष्टियाँ पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत के खातों से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्ट किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न रोकड़ बहियों में दर्ज आय व्यय की प्रविष्टियाँ पाई गई जिनका सम्बन्धित बैंक खातों की पासबुकों से मिलान उपरांत कोई लेन-देन दर्ज नहीं था जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ संदिग्ध प्रतीत होती है।

व्यय

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय ADJUSTMENT ENTERIES, NOT REFLECTING IN PASS BOOK	राशि (₹)	टिप्पणी
1	OWN/2022-23/P/85	31.03.2023	Adjustment voucher	15239.8	BANK
2	OWN/2023-24/P/32	31.03.2024	Adjustment voucher	17386	CASH
3	OWN/2023-24/P/33	31.03.2024	Adjustment voucher	155710	BANK
कुल राशि				188336	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 15/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 58 दिनांक 09.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया की केवल online रोकड़ बही (ई ग्राम स्वराज रोकड़ बही) से बैंक खातों के अंतशेष के मिलान हेतु केवल ट्रांसफर एंटरी ली गई है जो की दोनों ओर घटा डी गई है, जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों की जांच की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 नियमानुसार ई-ग्राम स्वराज्य पर लेखों का संधारण न करने बारे: -

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की

प्राथमिकता है व जिसके अनुसार प्रत्येक अनुदान के लिये अलग रोकड़ बही का संधारण करना और पृथक बैंक खाते का संचालन करना आपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमों के विपरीत ई-ग्राम स्वराज पर संधारित सभा निधि रोकड़ बही में अनुदान शीर्ष BBNDA का आय व व्यय को सम्मिलित किया गया है जो की अनियमित व आपतिजनक है। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 15/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 58 दिनांक 09.08.2024 द्वारा Online रोकड़ बही में BBNDA अनुदान के लिये कोई भी entry का विकल्प नहीं है, इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अधिकारी से चर्चा उपरान्त निश्चित कार्यवाही कर ली जाएगी व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार ई-ग्राम स्वराज पर लेखों का संधारण करना सुनिश्चित करने के उपरान्त सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 स्कीमवार पृथक बैंक खाते न खोलने बारे: -

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्ट्रों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है व जिसके लिए निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार बैंक खातों का संचालन नहीं किया जा रहा व अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता एवं एक से अधिक बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या
1	सभा निधि / SF, 3RD SFC, 4TH SFC, 14TH FC, MPLADS, RAYEAAAY, VKVNY, VMJS,	HDFC नालागढ़	501000199789472
2	RAYEAAAY, SBM,	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक बदी	101334022000143
3	3RD SFC, 4TH SFC, 14TH FC, MPLADS, NRHM, SBM, VKVNY, VMJS	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक नालागढ़	101334022000220

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण विभिन्न अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 15/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 58 दिनांक 09.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व उपरोक्त सभी अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 दिनांक 31.03.2024 को सभा निधि एवं अन्य अनुदानों की रोकड़ बही अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक एवं नियमों के विपरीत राशि ₹0.18 लाख हस्तगत नकद शेष का पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 10(3) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा ₹1000/- तक की राशि ही नकद रूप में हस्तगत रखी जा सकती है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि सभा निधि, 5 वां राज्य वित्त आयोग व 13वां वित्त आयोग की रोकड़ बहियों के अवलोकन पर दिनांक 31.03.2024 को प्रावधित सीमा से अधिक कुल नकद राशि ₹17,701.00 को हस्तगत रखा गया था, जिसमें से ₹17,386.00 की राशि को (adjustment vouchers) के रूप में इन्द्रज किया गया था, जिसका बैंक में कोई लेन-देन नहीं हुआ है व ₹315.00 की राशि को ही नगद अन्तशेष के रूप में दर्शाया गया है जोकि एक गंभीर अनियमितता है तथा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लेही दिनांक 08.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 51 दिनांक 09.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि सभा निधि में Cash adjustment की entry गलती से हुई है व जिसे सही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व भविष्य में भी इस प्रकार की गलतियों का ध्यान रखा जायेगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त बकाया हस्तगत नकद शेष को बैंक में जमा करवाकर, रोकड़ बही में उचित तरीके से इन्द्रज किया जाए व निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रखी गई राशि का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इस गंभीर अनियमितता की विभागीय स्तर पर, सभा निधि की रोकड़ बहियों की जांच की जाये तदनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 कमरे के किराये से प्राप्त ₹0.02 लाख को रोकड़ बही में कम लेखांकन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(2) के अनुसार पंचायत द्वारा आय में प्राप्त धन राशियों को सम्बंधित बैंक खातों में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कमरे के किराये के रूप में ₹2000.00 की राशि रशीद संख्या 170912 दिनांक 21 दिसम्बर 2022 वसूली गई थी, जबकि रोकड़ बही में OWN/2022-23/R/55 दिनांक 21.12.2022 द्वारा केवल ₹200.00 का लेखांकन किया गया है जोकि गंभीर अनियमितता है जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

क्रम संख्या	रसीद संख्या/ दिनांक	प्राप्त राशि (₹)	रोकड़ बही संख्या / दिनांक	राशि (₹)	रोकड़ बही में अंकित गई कम राशि (₹)
1.	170912 / 21.12.2022	2000.00	OWN/2022-23/R/55 - 21.12.2022	200.00	1800.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लेही दिनांक 08.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 51 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को

अवगत करवाया गया कि यह entry गलती हुई है व जिसे सही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायगी। व अंकेक्षण भविष्य में इस प्रकार की गलतियों का ध्यान रखा जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि को बैंक में जमा कर इसका इन्द्राज रोकड़ बही में करना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.7 लेखा खाता /खाता बही (Account Ledgers) तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लेखा खाते/ खाता बहियाँ तैयार नहीं किये गए थे जिसके कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 6) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही को आगामी वित्त वर्ष से संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा। पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं हैं।

अतः इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31.03.2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत

निधि (स्वः-स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 3) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत बैठक में विचार विमर्श उपरान्त आवश्यक कार्यवाही बारे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹9.04 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 11/2024 दिनांक 02.08.2024 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत सूचना जोकि परिशिष्ट - " क " व परिशिष्ट - " ख " पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹ 9,04,212.85 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। उक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 2) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 दुकानों/कमरों के किराये से आय:-

(क) दुकानों का किराया ₹ 0.26 लाख वसूली हेतु शेष:-

सचिव ग्राम पंचायत लेही द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 को निम्न विवरणानुसार ₹25,500.00 दुकानों के किराये के रूप में वसूली हेतु शेष थे।

वर्ष	अथ शेष(₹)	मांग(₹)	योग(₹)	प्राप्ति(₹)	वसूली हेतु शेष राशि(₹)
2022-23	0.00	102000.00	102000.00	97000.00	5000.00
2023-24	5000.00	102000.00	107000.00	81500.00	25500.00

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2024/लेही दिनांक: 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लेही को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 63 दिनांक: 09.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों व कमरों के किराये का रजिस्टर असंधारित है व बकाया राशि आगामी वित्त वर्षों में कर ली जायगी जिसका विवरण आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायगा।

अतः वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तदनुसार अनुपालना अंकेक्षण को प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) दुकान व कमरों के किरायेदारों के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने बारे:-

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत लेही के अभिलेखों की जाँच पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ज्ञापन संख्या 03/2024/लेही दिनांक 02.08.2024 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 57 दिनांक 09.08.2024 द्वारा दिए गये विवरण अनुसार दुकान / कमरों के किरायेदार के साथ किराये के सम्बन्ध में या तो कोई भी लिखित अनुबंध का कार्यान्वयन नहीं किया गया है और न ही पंचायत के पास इससे सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख अर्थात् माहवार दर, सम्बन्धित रजिस्टर लेजर तथा नियम व शर्तें इत्यादि उपलब्ध थी जिस कारण मासिक किराये की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान सम्भव नहीं हो सकी। जिसके लिये ज्ञापन संख्या 12/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 अनुसार ग्राम पंचायत को अपनी स्थिती स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 59 दिनांक 09.08.2024 द्वारा दिए गये विवरण अनुसार दुकानों व कमरों के किरायेदारों के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन मौजूदा समय में नहीं किया गया है, जिसे मौजूदा (Market Rate) के अनुरूप अनुबंध बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः दुकान / कमरों के किरायेदार के साथ अनुबंध का कार्यान्वयन न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मामलों में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) दुकानों / कमरों के किराये के साथ GST की वसूली न करने के कारण सरकार को ₹0.32 लाख के राजस्व की हानि:-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर दी गयी दुकानों के किरायेदारों से देय किराये पर GST की वसूली नहीं की जा रही है, जबकि

नियमानुसार दुकानों के किराये पर @18% GST की वसूली की जानी अपेक्षित थी अंकेक्षण को उक्त पैरा संख्या 7.2 (क) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार, ग्राम पंचायत की अवधि 2022-23 और 2023-24 के दौरान दुकानों के किराये के रूप में की गई कुल मांग ₹1,78,500/- पर देय GST 18% of ₹ 1,78,500/- = ₹ 32,130/- की वसूली उपरांत इसे सम्बंधित विभाग में जमा की जानी अपेक्षित थी, किन्तु नियमों के विपरीत कार्यप्रणाली अपनाते हुए ग्राम पंचायत द्वारा देय किराये पर GST की वसूली नहीं की गई जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है।

वर्ष	दुकान किराये के रूप में वार्षिक प्राप्त राशि (₹)	18% की दर से बकाया GST की राशि (₹)
2022-23	97,000.00	17,460.00
2023-24	81,500.00	14,670.00
कुल	₹ 178500	₹ 32,130/-

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 12/2024/लेही दिनांक: 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत लेही को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: 59 दिनांक: 09.08.2024 द्वारा सूचित किया गया कि दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली, इस संदर्भ में ज्ञान के अभाव के कारण नहीं की जा सकी। जिसे वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा व आगे से मासिक किराये की वसूली GST सहित की जाएगी।

अतः दुकानों के किराये के साथ GST की वसूली न करने करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व मामलों में अब आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹1.51 लाख के व्यय करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹1,51,467.00** का व्यय किया गया था जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/लेही दिनांक 08.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 11/2024 दिनांक 01.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को इस सम्बन्धित जानकारी के आभाव के कारण हुआ है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 राशि ₹34.35 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर आर्डर, माप आंकलन, तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति, माप आंकलन, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कनिष्ठ अभियंता व तकनीकी स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, माप आंकलन व मापन पुस्तिका अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जिसका विवरण परिशिष्ट " ड " पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 13) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अभिलेखों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत करने को कहा गया था, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 63 दिनांक 09.08.2024 में पंचायत सचिव द्वारा इस संदर्भ में कनिष्ठ अभियंता से चर्चा की गई व उन्होंने बताया की सम्बन्धित माप पुस्तिका शिमला में check test के लिये गई है व इसके सम्बन्धित दस्तावेज़ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (III) की अनुपालना सहित उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.3 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹1.61 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अलावा निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या **XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/2024192/2023-34307-30** दिनांक **02.11.2023** अनुसार खनन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाने उपरांत किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय चयनित माह 09/2022 व 08/2023 के बिल एवं वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए व आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध न करवाने के बावजूद संबंधित बिल/वाउचरों का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार को परिशिष्ट - " च " पर

संलग्न विवरणानुसार रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व राशि **₹1,61,426.00** की संभावित वित्तीय हानि प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 10) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित नहीं किया गया व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे अथवा राशि **₹1,61,426.00** की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः आपूर्तिकर्ता से वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना खनन सामग्री के बिल/वाउचरों का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तथा राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि **₹1,61,426.00** के संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Nonferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में (फार्म-

डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरान्त ही इस प्रकार के बिलों का भुगतान किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना केवल चयनित माह 09/2022 व 08/2023 में ही ₹ 17.13 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि ₹ 17,13,068.40 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट " छ " में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 के (क्रम संख्या 15) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा बताया गया की सम्बन्धित अनियमितताओं की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु राशि ₹2.20 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना

निर्माण कार्य लिंक रोड नजदीक कोरब कम्पनी गाँव कोलिमजरा की जांच के दौरान पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण ₹2,19,633.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है: -

कार्य स्वीकृति संख्या : PLG. SLN. (F)5-13/2022-VMJS-464 दिनांक : 17.06.2022	
प्रस्ताव संख्या : 05 दिनांक : 25.07.2022	
शेल्फ क्रमांक संख्या : VMJS	कार्य स्वीकृत राशि: 8,50,000
कुल व्यय राशि: 8,50,000	मापन पुस्तिका संख्या : 3312 पृष्ठ संख्या : 35 से 37
1. Error: Recording additional width of P/L Paver Block as compare for bed/base in which road i.e. Soiling 63mm to 45mm In item no.2 Soiling in road base had done in three length i.e. $2 \times 15 \times 2.9 \times (0.15 + 0.20 + 0.90/3) = 18.85 \text{ M}^3$ and $1 \times 210 \times 2.90 \times 0.116 = 70.64 \text{ M}^3$, but while measuring Item No. 3 "P/L Paver Block 80mm. the width were measured 2.9 to 6.0 Mtrs in different length. Maximum width as per base i.e., soiling is 2.9 and both side locking of max. 0.15×2 needs to reduce from both side, that means width should come to max. 2.6 Mtrs. $[2.90 \text{ (soiling width)} - 0.15 \times 2 \text{ (both sides locking of Paver block)}]$.	
2. Error: Recording additional width and height in P/L both side locking of Paver Block as compare for bed/base in which road i.e. Soiling 63mm to 45mm & P/L Paver Block In item no.2 Soiling in road base had done in three length i.e. $2 \times 15 \times 2.9 \times (0.15 + 0.20 + 0.90/3) = 18.85 \text{ M}^3$ and $1 \times 210 \times 2.90 \times 0.116 = 70.64 \text{ M}^3$, but while measuring Item No. 4 "P/L Paver Block 80mm. the width were measured 2.9 to 6.0 Mtrs in different length. Maximum width as per base i.e., soiling is 2.9 and both side locking of max. 0.15×2 needs to reduce from both side, that means width should come to max. 2.6 Mtrs. $[2.90 \text{ (soiling width)} - 0.15 \times 2 \text{ (both sides locking of Paver block)}]$. Which may also be fully justified and duly checked and verified from the next higher technical authority otherwise recovery be effected accordingly.	

Measurement as recorded in MB/	Measurement needs to be record in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
MB 3312 Page No. 36 Item No. 3 P/L Paver Block 80mm $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 M^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 M^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 M^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 M^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 M^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 M^2$ $1 \times 15 \times (2.9 + 3.0) / 2 = 44.25 M^2$ $1 \times 15 \times (2.9 + 3.2) / 2 = 45.75 M^2$ $1 \times 15 \times (3.2 + 3.65) / 2 = 51.37 M^2$ $1 \times 15 \times 2.90 = 43.50 M^2$ $1 \times 15 \times 2.90 = 43.50 M^2$ $1 \times 15 \times 3.60 = 54.00 M^2$ $1 \times 15 \times 3.60 = 54.00 M^2$ $1 \times 15 \times 3.60 = 54.00 M^2$ $1 \times 15 \times 3.60 = 54.00 M^2$ $1 \times 9.50 \times 3.60 = 34.20 M^2$ $1 \times 6.0 \times (6.0 + 3.5) / 2 = 28.50 M^2$ Total = 777.07 M² (Total length of link road was measured 240.50 Mtrs i.e. 0.50 Mtrs extra as compare with Base soiling).	MB 3312 Page No. 36 Item No. 3 P/L Paver Block 80mm (width should be maximum width of base soiling work less both side locking (i.e. 2.90-2x0.15 = 2.60 Mtrs.) $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 M^2$ $1 \times 9.50 \times 2.60 = 24.70 M^2$ $1 \times 5.5 \times 2.6 = 14.30 M^2$ Total = 624.00 M² (Total length of link road was measured 240.50 Mtrs i.e. 0.50 Mtrs extra as compare with Base soiling).	777.07M² – 624.00 M³ = 153.07M²@ ₹867.70/ M³	132819/-
Page No. 37 Item No. 5 P/L CC 1:3:6 for locking both side $2 \times 120.00 \times 0.23 \times 0.30 = 16.56 M^3$ $2 \times 120.00 \times 0.30 \times 0.075 = 5.40 M^3$ Total = 21.96 M³	Page No. 37 Item No. 5 P/L CC 1:3:6 for locking both side $2 \times 120.00 \times 0.15 \times 0.13 = 4.68 M^3$ $2 \times 120.00 \times 0.15 \times 0.075 = 2.70 M^3$ Total = 7.38 M³ Width of lock as compare with	21.96 M³ – 7.38 M³ = 14.58 M³ @ ₹5954.35/ M³	86814.00

	base i.e. soiling area is 2.9 less paver block i.e. (2.90- 2.60=0.30 (0.15+0.15 both side locking) Height of locking max should be paver block height + sand fill (i.e. 0.08+0.05 = 0.13 Mtrs)		
Total extra payment			2,19,633.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है। जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 56 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि निर्माण कार्य से संबंधित माप पुस्तिकाओं में अनियमित माप गणना के कारण ₹2,19,633/- बारे कनिष्ठ अभियंता के संज्ञान में लाया गया है व इस सन्दर्भ में सुनिश्चित कारवाही करके व इसकी अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी। प्रत्युत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति / पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किये गये अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड

विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता ही जोकि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्रोत न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

11. विविध अनियमितताएं :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है। परन्तु जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्यांकनों की मापन पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु मापन पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

12.1 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹9.81 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 08/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹ 9,81,482.40 के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं

किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट " झ " में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 8) द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रतिउत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः क्रय किये गये सामान का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोका जाये तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

12.2 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। उत्तर तथ्यरहित होने के कारण

तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

13 स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹0.05 लाख की वसूली न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत लेही द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना व व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 09/2022 व 08/2023 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि फर्म के बिलों से स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹4,957.77 की राशि का स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" में दिया गया है। आयकर की धारा 194(c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/लेही दिनांक 09.08.2024 (क्रमांक संख्या 14) द्वारा ₹4,957.77 की स्त्रोत पर आयकर की कटौती ना करने पर सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या 63 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि संबन्धित कंपनी (वेंडर) से शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या: SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण

शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि ₹ 6,800.00 को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/लेही दिनांक 07.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 50 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

15. विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्ट्रों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

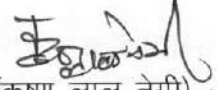
अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	09	30
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
5.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----	103
8.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	95(1)
9.	वर्गीकृत सार	8	29 (4)
10.	बजट प्राक्कलन	11	37
11.	चौकीदार को जारी की जाने वाली वर्दी का रजिस्टर	-----	31

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/लेही दिनांक 08.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर क्रमांक संख्या 52 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया उक्त सभी रजिस्ट्रों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्ट्रों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. **लघु-आपत्ति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
17. **निष्कर्ष :-** हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालन नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।


(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

का०/प्रति
04 OCT 2024

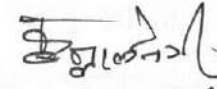
पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) 15 (4) 62/2024 खण्ड-1 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि०प्र० विधानसभा शिमला-4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 3 जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि०प्र०।
- 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ जिला सोलन हि०प्र०।
- पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत लेही, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

04 OCT 2024

का०/प्रति


(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक

हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला-171009
दूरभाष-0177-2626670

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP LEHI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES & BE

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	588798.21	2330230.15	2919028.36	2249139.65	669888.71
2023-24	669888.71	1168209.00	1838097.71	775270.00	1062827.71

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1573868.35	5334746.20	6908614.55	5404450.70	1504163.85
2023-24	1504163.85	1508135.00	3012298.85	2108086.00	904212.85



DARSHAN KUMAR
Secretary
Gram Panchayat *Lehi*
Dev Block Nalgonda (Solan) M.T.

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP LEHI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH STATE	2022-23	13694.00	285329.00	299023.00	283216.00	15807.00
		2023-24	15807.00	728632.00	744439.00	633593.00	110846.00
2	VMJS	2022-23	0.00	2285000.00	2285000.00	2235125.00	49875.00
		2023-24	49875.00	0.00	49875.00	0.00	49875.00
3	VKVNY	2022-23	0.00	100000.00	100000.00	19357.00	80643.00
		2023-24	80643.00	0.00	80643.00	19357.00	61286.00
4	SBM	2022-23	2447.30	992106.00	994553.30	992106.00	2447.30
		2023-24	2447.30	108000.00	110447.30	108000.00	2447.30
5	RAYEAAAY	2022-23	4349.00	0.00	4349.00	0.00	4349.00
		2023-24	4349.00	0.00	4349.00	0.00	4349.00
6	13TH FC	2022-23	47199.68	0.00	47199.68	0.00	47199.68
		2023-24	47199.68	0.00	47199.68	0.00	47199.68
7	14TH FC	2022-23	260359.37	0.00	260359.37	0.00	260359.37
		2023-24	260359.37	0.00	260359.37	0.00	260359.37
8	15TH FC	2022-23	1245819.00	1334635.00	2580454.00	1536970.50	1043483.50
		2023-24	1043483.50	342116.00	1385599.50	1017749.00	367850.50
9	MNREGA	2022-23	0.00	337676.20	337676.20	337676.20	0.00
		2023-24	0.00	329387.00	329387.00	329387.00	0.00

DARSNAK

Secretary



Gram Panchayat
Dev Block Nalagarh (Solapur)

कार्यालय ग्राम पंचायत लेही, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र०, पिन-173205

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत लेही के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० सं०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF, 3RD SFC , 4TH SFC , 5TH SFC , 14TH FC, MPLADS, PMGSY, RAYEAAAY, VKVNY, VMJS,	HDFC नालागढ़	501000199789472	278411.50
2	SBM	HDFC किशनपुरा	50100214673101	0.00
3	IAY, RAYEAAAY, SBM,	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक बही	101334022000143	0.00
4	3RD SFC, 4TH SFC, 14TH FC, MPLADS, NRHM, SBM, 13TH FC, VKVNY, VMJS	जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक नालागढ़	101334022000220	0.00
5	सभा निधि / SF, 14वां वित्तायोग / 14FC	HDFC किशनपुरा	50100220597247	0.00
6	15वां वित्तायोग / 15FC	HDFC किशनपुरा	50100347861395	378411.50
जोड़				656823.00
दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-				
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-				1984741.56
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-				656823.00
अंतर :-				1327918.56

DARSHAN KUMAR



Secretary
Gram Panchayat
Dev Block Nalagarh (Solan) H.P.

- 35 -

परिशिष्ट "ख", पैरा संख्या "8" के सन्दर्भ में

(क) ग्राम पंचायत लेही द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त नगद राशी का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/R/2	18.05.2022	राशी प्राप्ति बजरंग मेडिकल शॉप माह अप्रैल व मई 2022	4000
2	OWN/2022-23/R/3	18.05.2022	राशी प्राप्ति 0034037 परिवार नकल	20
3	OWN/2022-23/R/4	18.05.2022	राशी प्राप्ति विवाह पंजीकरण शुल्क 0034039	400
4	OWN/2022-23/R/6	09.06.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया श्रीमति राम बानो व महिंदर	9000
5	OWN/2022-23/R/7	09.06.2022	राशी प्राप्ति जन्म प्रमाण पत्र	310
6	OWN/2022-23/R/9	15.06.2022	राशी प्राप्ति संपत्ति कर 086502 से 086564	18900
7	OWN/2022-23/R/10	21.06.2022	राशी प्राप्ति संपत्ति कर 170601 से 170657	17400
8	OWN/2022-23/R/11	21.06.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया R. NO. 0034049	4000
9	OWN/2022-23/R/13	01.07.2022	राशी प्राप्त परिवार नकल प्रमाण पत्र	440
10	OWN/2022-23/R/14	01.07.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु, जन्म व विवाह शुल्क 0034057, 61, 63, 64, 67, 72, 75, 78, 81, 82 व 83	300
11	OWN/2022-23/R/15	01.07.2022	राशी प्राप्ति संपत्ति कर 170658 से 170700, 086565 से 086600, 170701 से 170728, 170730 से 170766	42900
12	OWN/2022-23/R/19	18.07.2022	राशी प्राप्ति परिवार नकल 0034087	20
13	OWN/2022-23/R/21	19.07.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र	20
14	OWN/2022-23/R/23	05.08.2022	राशी प्राप्ति संपत्ति कर	15000
15	OWN/2022-23/R/24	05.08.2022	राशी प्राप्ति संपत्ति कर 0034095, 170519 से 170524	2100
16	OWN/2022-23/R/25	05.08.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया R. NO. 0034095	2000
17	OWN/2022-23/R/26	05.08.2022	राशी प्राप्ति जन्म प्रमाण पत्र व परिवार नकल	250
18	OWN/2022-23/R/28	01.09.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया R. NO. 170535, 36 व 540	8000
19	OWN/2022-23/R/29	01.09.2022	राशी प्राप्ति संपत्ति कर 170541, 551	400
20	OWN/2022-23/R/30	01.09.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र 170545, 46, 52 व परिवार नकल 170542 से 44, 47 से 50	170
21	OWN/2022-23/R/32	07.09.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु प्रमाण पत्र 170554	10
22	OWN/2022-23/R/33	15.09.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	9500
23	OWN/2022-23/R/34	15.09.2022	राशी प्राप्ति संपत्ति कर 170557 से 74	4540
24	OWN/2022-23/R/37	06.10.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र 170575, 77, 79, 80	40
25	OWN/2022-23/R/38	06.10.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया 170578, 82	6000
26	OWN/2022-23/R/39	06.10.2022	राशी प्राप्ति परिवार नकल 170583, 81	40
27	OWN/2022-23/R/40	13.10.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र 1705787, परिवार नकल 170585	30
28	OWN/2022-23/R/43	18.10.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र 170592, 93	20
29	OWN/2022-23/R/46	13.12.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	9000
30	OWN/2022-23/R/47	13.12.2022	विवाह पंजीकरण शुल्क 00902	200
31	OWN/2022-23/R/48	13.12.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र 0903	10
32	OWN/2022-23/R/49	15.12.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र	20
33	OWN/2022-23/R/51	17.12.2022	विवाह पंजीकरण शुल्क 170508	200
34	OWN/2022-23/R/52	17.12.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया 170508	6000
35	OWN/2022-23/R/54	21.12.2022	राशी प्राप्ति परिवार नकल 170910	60
36	OWN/2022-23/R/55	21.12.2022	राशी प्राप्ति कमरे का किराया 17912	2000

36

37	OWN/2022-23/R/56	21.12.2022	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र 170915	200
38	OWN/2022-23/R/58	03.01.2023	विवाह पंजीकरण शुल्क 170918-19	800
39	OWN/2022-23/R/60	04.02.2023	दान चन्दा	500
40	OWN/2022-23/R/61	04.02.2023	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र	20
41	OWN/2022-23/R/62	04.02.2023	दुकान किराया	2000
42	OWN/2022-23/R/68	27.02.2023	दान चन्दा	1100
43	OWN/2022-23/R/69	27.02.2023	विवाह पंजीकरण शुल्क	200
44	OWN/2022-23/R/70	27.02.2023	राशी प्राप्ति परिवार नकल	20
45	OWN/2022-23/R/71	27.02.2023	जुमोना राशी	200
46	OWN/2022-23/R/72	23.03.2023	विवाह पंजीकरण शुल्क	400
47	OWN/2022-23/R/73	23.03.2023	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	7000
48	OWN/2022-23/R/74	23.03.2023	राशी प्राप्ति परिवार रजिस्टर	400
49	OWN/2022-23/R/75	23.03.2023	अकेक्षण वसूली	500
50	OWN/2022-23/R/76	31.03.2023	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र 170955, 56	510
कुल राशी				177150

(ख) ग्राम पंचायत लेही द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में बैंक में जमा की गई राशी की सूची

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	बैंक में जमा की गई राशी का विवरण	राशि (₹)
1	OWN/2022-23/C/1	09.06.2022	हस्तगत राशी बैंक में जमा करवाई	2000
2	OWN/2022-23/C/2	15.06.2022	हस्तगत राशी बैंक में जमा करवाई	19000
3	OWN/2022-23/C/3	15.07.2022	हस्तगत राशी बैंक में जमा करवाई	41000
4	OWN/2022-23/C/5	15.09.2022	हस्तगत राशी बैंक में जमा करवाई	10000
5	OWN/2022-23/C/6	13.12.2022	हस्तगत राशी बैंक में जमा करवाई	5000
6	OWN/2022-23/C/7	17.12.2022	हस्तगत राशी बैंक में जमा करवाई	7000
7	OWN/2022-23/C/8	23.12.2022	हस्तगत राशी बैंक में जमा करवाई	2000
कुल राशी				86000

वित्त वर्ष 2022-23 में जो राशी बैंक में जमा नहीं की गई (क - ख)

91150

DARSHAN KUMAR

Secretary



Gram Panchayat
Dev Block Nalagarh (Solan) H.P.

28

परिशिष्ट " " , पैरा संख्या " " के सन्दर्भ में

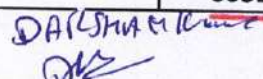
(क) ग्राम पंचायत लेही द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में प्राप्त नगद राशी का विवरण

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	विवरण	राशि (₹)
1	OWN/2023-24/R/2	11.04.2023	राशी प्राप्ति मृत्यु, जन्म व विवाह शुल्क 170958	30
2	OWN/2023-24/R/3	11.04.2023	विवाह पंजीकरण शुल्क 170960, 63	400
3	OWN/2023-24/R/5	11.04.2023	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	6200
4	OWN/2023-24/R/6	11.04.2023	राशी प्राप्ति संपत्ति कर 170965	500
5	OWN/2023-24/R/7	25.05.2023	विवाह पंजीकरण शुल्क 170970	200
6	OWN/2023-24/R/13	06.07.2023	विवाह पंजीकरण शुल्क 17098	200
7	OWN/2023-24/R/14	31.07.2023	विवाह पंजीकरण शुल्क	400
8	OWN/2023-24/R/15	10.08.2023	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	14000
9	OWN/2023-24/R/16	10.08.2023	राशी प्राप्ति परिवार नकल	20
10	OWN/2023-24/R/17	21.08.2023	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	10000
11	OWN/2023-24/R/20	16.09.2023	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	4000
12	OWN/2023-24/R/22	27.09.2023	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र	30
13	OWN/2023-24/R/30	31.12.2023	राशी प्राप्ति मृत्यु व जन्म प्रमाण पत्र	250
14	OWN/2023-24/R/31	31.12.2023	राशी प्राप्ति परिवार नकल	20
15	OWN/2023-24/R/32	31.12.2023	विवाह पंजीकरण शुल्क	400
16	OWN/2023-24/R/34	31.12.2023	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	13000
17	OWN/2023-24/R/36	14.02.2024	विवाह पंजीकरण शुल्क	440
18	OWN/2023-24/R/42	17.02.2024	राशी प्राप्ति परिवार नकल	10
19	OWN/2023-24/R/43	17.02.2024	विवाह पंजीकरण शुल्क	200
20	OWN/2023-24/R/44	17.02.2024	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	11000
21	OWN/2023-24/R/45	28.02.2024	अंकेक्षण वसूली	977
22	OWN/2023-24/R/46	28.02.2024	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	4000
23	OWN/2023-24/R/50	16.03.2024	राशी प्राप्ति परिवार नकल	110
24	OWN/2023-24/R/51	28.03.2024	राशी प्राप्ति कमरे का किराया	4000
25	OWN/2023-24/R/52	28.03.2024	राशी प्राप्ति परिवार नकल	200
26	OWN/2023-24/R/53	28.03.2024	विवाह पंजीकरण शुल्क	400
कुल राशी				70987

(ख) ग्राम पंचायत लेही द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में बैंक में जमा की गई राशी की सूची

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	बैंक में जमा की गई राशी का विवरण	राशि (₹)
1	OWN/2023-24/R/21	16.09.2023	बैंक में जमा	4000
2	OWN/2023-24/C/1	28.02.2024	हस्तगत राशी बैंक में जमा करवाई	6670
कुल राशी				10670

वित्त वर्ष 2023-24 में जो राशी बैंक में जमा नहीं की गई (क - ख)				60317
---	--	--	--	--------------


 Secretary
 Gram Panchayat Law
 Dev. Block Nalagarh (Solani) H.P.


 37

परिशिष्ट " ई ", पैरा संख्या " ४.२ " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत लेही द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 09/2022 व 08/2022 के निर्माण कार्य ई
₹ 34.35 लाख राशि के से सम्बंधित मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने की सूची

क्र०सं०	अनुदान	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	माप पुस्तिका संख्या	माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या
1	VMJS	खाता निर्माण लिंक रोड नियर कोय गाँव कोलीमाजरा	2022-23	535000	535000	15989	04 to 06
2		खाता निर्माण लिंक रोड नीर कर्मटन कोयपनी गाँव कोलीमाजरा	2022-23	900000	900000	15952	23 to 27
3		खाता निर्माण रोड रात खड से मुहिनथार व सतोख सिंह व अन्य	2022-23	1000000	1000000	12202	68 to 71
4	OWN /BBND	खाता निर्माण जंज घर लेही BBND A	2022-23	1000000	1000000	3313	73 to 78
				कुल राशि	3435000		



Secretary
Gram Panchayat
Dohi, District Meerut (South) P.

Dr. Anil Kumar

Dr. Anil Kumar

ग्राम पंचायत लेही द्वारा केवल चयनित माह 09/2022 व 08/2023 में आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री विलों के साथ टांजिट पास (फार्म-इन्फ्लू) या सन्दर्भेटी पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹ 1.61 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि

क्रम संख्या	आपूर्ति कर्ता का नाम	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/दिनांक	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक सफ़ी में)	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	Determining Factor	Qty MT	Royalty (Per MT)	Due Royalty
1	DEV RAI THAKUR & BROTHERS	VMJS/2022-23/P/5/10.08.2022	1791/-12.07.2022	GATKA	710	20.11	2.24	45.05	80	3604.00
				BAJARI 20MM	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
			1793/-15.07.2022	BAJARI 20MM	340	9.63	1.54	14.83	80	1186.40
				SAND	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.20
2			1794/-16.07.2022	SAND	310	8.78	1.62	14.22	80	1137.60
3			1792/-14.07.2022	SAND/DUST	710	20.11	1.62	32.58	80	2606.40
4			1801/-28.07.2022	SAND	570	16.14	1.62	26.15	80	2092.00
5				S/DUST	340	9.63	1.62	15.60	80	1248.00
6	DEV RAI THAKUR & BROTHERS	VMJS/2022-23/P/9/16.08.2022	1802/-30.07.2022	GATKA	510	14.44	1.62	23.39	80	1871.20
				S/SAND	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
				BAJARI 20mm	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
				Reta	60	1.70	1.62	2.75	80	220.00
7	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/7/7 -23.11.2022	395/-18.11.2022	Bajri River	40	1.13	1.54	1.74	80	139.20
8	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/7/6 - 23.11.2022	393/-18.11.2022	reta	55	1.56	1.62	2.53	80	202.40
9	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/6/2 - 30.08.2022	352/-20.08.2022	Bajri River	50	1.42	1.62	2.30	80	184.00
10	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/5/5 - 28.08.2022	353/-22.08.2022	reta	250	7.08	1.62	11.47	80	917.60
11	MADAN LAL	XVFC/2022-23/P/4/8 - 03.08.2022	524/-10/07/2022	Bajri River	150	4.25	1.62	6.89	80	551.20
12	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/3/9 - 30.07.2022	327/15/07/2022	Dust Reta	90	2.25	1.62	3.65	80	292.00
13	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/3/4 - 28.07.2022	335/15/07/2022	S.Dust	90	2.25	1.62	3.65	80	292.00
14	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/31/28.07.2022	336/15/07/2022	W.Sand	10	0.28	1.62	0.45	80	36.00
15	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/17/19.07.2022	319/15/07/2022	Aggr Gate	15	0.42	1.54	0.65	80	52.00
				Bajri	20	0.57	1.54	0.88	80	70.40
				Reta	80	2.27	1.62	3.68	80	294.40
				Bajri	10	0.28	1.54	0.43	80	34.40
				Reta	7	0.20	1.62	0.32	80	25.60
				Stone Dust	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.20
				Reta	11	0.31	1.62	0.50	80	40.00
				Bajri	15	0.42	1.54	0.65	80	52.00
				Reta	100	2.83	1.62	4.58	80	366.40
				Bajri	30	0.85	1.54	1.31	80	104.80

-38-39

Secretary
Gram Panchayat
Dev Rai Thakur & Brothers

16	RK TILES & PAVERS	XVFC/2022-23/P/39 30.07.2022	307/30/05/2022	Reta	12	0.34	1.62	0.55	80	44.00
				Bajri	24	0.68	1.54	1.05	80	84.00
17	MADAN LAL	XVFC/2022-23/P/01/20.05.2022	445/20.02.2022	Stone Dust	110	3.12	1.62	5.05	80	404.00
				Aggri Gate	55	1.56	1.54	2.40	80	192.00
18	MADAN LAL	XVFC/2023-24/P/51/28/03/2024	815/03.02.2024	W.Sand	25	0.71	1.62	1.15	80	92.00
				S.Dust	300	8.50	1.62	13.77	80	1101.60
				SAND	31	0.88	1.62	1.43	80	114.40
19	RK TILES & PAVERS	XVFC/2023-24/P/36/02.12.2023	543/01.07.2023	Aggri Gate	50	1.42	1.54	2.19	80	175.20
				Bajri	50	1.42	1.54	2.19	80	175.20
				Reta	30	0.85	1.62	1.38	80	110.40
				Stone Dust	70	1.98	1.62	3.21	80	256.80
20	RK TILES & PAVERS	XVFC/2023-24/P/23/14.11.2023	526/01.07.2023	Stone Dust	70	1.98	1.62	3.21	80	256.80
				Bajri	10	0.28	1.54	0.43	80	34.40
21	RK TILES & PAVERS	XVFC/2023-24/P/25/14.11.2023	544/25.07.2023	W.Sand	10	0.28	1.62	0.45	80	36.00
				Reta	20	0.57	1.62	0.92	80	73.60
				bajri	40	1.13	1.54	1.74	80	139.20
22	RK TILES & PAVERS	XVFC/2023-24/P/21/10.11.2023	524/25.07.2023	Stone Dust	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
				Bajri	100	2.83	1.54	4.36	80	348.80
				W.Sand	80	2.27	1.62	3.68	80	294.40
23	RK TILES & PAVERS	XVFC/2023-24/P/22/10.11.2023	525/25.07.2023	Stone Dust	120	3.40	1.62	5.51	80	440.80
				Bajri	30	0.85	1.54	1.31	80	104.80
				W.Sand	35	0.99	1.62	1.60	80	128.00
24	RK TILES & PAVERS	XVFC/2023-24/P/12/29.08.2023	513/24.08.2023	Bajri	100	2.83	1.54	4.36	80	348.80
				Reta	50	1.42	1.62	2.30	80	184.00
				Stone Dust	235	6.66	1.62	10.79	80	863.20
25	RK TILES & PAVERS	OWN/2022-23/P/80/31.03.2023	471/18.03.2023	Bajri	55	1.56	1.54	2.40	80	192.00
				Reta	130	3.68	1.62	5.96	80	476.80
26	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/73/17.02.2023	631/30.12.2022	Baricks Bajri	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
				BAJRI	1500	42.48	1.54	65.42	80	5233.60
				GATKA	1210	34.27	2.24	76.76	80	6140.80
				BAJRI	230	6.51	1.54	10.03	80	802.40
27	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/11/17.02.2023	635/04.01.2023	W.SAND	175	4.96	1.62	8.04	80	643.20
				S.DUST	1550	43.9	1.62	71.12	80	5689.60
				BAJRI	325	9.2	1.54	14.17	80	1133.60
				GATKA	1500	42.48	2.24	95.16	80	7612.80
28	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/11/17.02.2023	584/02.10.2022	GATKA	1300	36.82	2.24	82.48	80	6598.40
				W.SAND	500	14.16	1.62	22.94	80	1835.20

29	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/ 66/13.01.2023	583/01.10.2022	BAURI	150	4.25	1.54	6.55	80	524.00
				W.SAND	100	2.83	1.62	4.58	80	366.40
				SAND	166.66	4.72	1.62	7.65	80	612.00
30	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/ 63/06.01.2023	594/16.12.2022	Bajri	400	11.33	1.54	17.45	80	1396.00
				W.SAND	400	11.33	1.62	18.35	80	1468.00
31	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/ 58/19.12.2023	630/30.12.2022	W.SAND	1130	32	1.62	51.84	80	4147.20
				BAURI	162	4.59	1.54	7.07	80	565.60
32	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/ 58/19.12.2023	633/30.12.2023	S.DUST	1002	28.38	1.62	45.98	80	3678.40
33	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/09/03.11.2022	384/28.10.2022	GATKA	750	21.24	2.24	47.58	80	3806.40
34	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/09/03.11.2022	382/28.10.2022	DUST RETA	1800	50.98	1.62	82.59	80	6607.20
35	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/09/03.11.2022	383/28.10.2023	GATKA	1800	50.98	2.24	114.20	80	9136.00
				BAURI	700	19.82	1.54	30.52	80	2441.60
36	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/09/03.11.2022	381/28.10.2023	W.SAND	370	10.48	1.62	16.98	80	1358.40
				GATKA	600	16.99	2.24	38.06	80	3044.80
37	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/6/20.10.2022	347/11.08.2022	BAURI	770	21.81	1.54	33.59	80	2687.20
				Reta	1100	31.15	1.62	50.46	80	4036.80
				AGGRIGAT	200	5.66	1.54	8.72	80	697.60
38	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/50/19.10.2022	583/01.10.2022	W.SAND	200	5.66	1.62	9.17	80	733.60
				GATKA	180	5.1	2.24	11.42	80	913.60
				DUST	150	4.25	1.62	6.89	80	551.20
39	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/43/06.10.2022	577/01.10.2022	AGGRIGAT	1000	28.32	1.54	43.61	80	3488.80
40	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/43/06.10.2022	578/01.10.2022	W.SAND	1000	28.32	1.62	45.88	80	3670.40
41	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/43/06.10.2022	579/01.10.2022	AGGRIGAT	1600	45.31	1.54	69.78	80	5582.40
42	MADAN LAL	OWN/2022-23/P/38/15.09.2022	350/25.08.2022	Reta	30	0.85	1.62	1.38	80	110.40
				BAURI	35	0.99	1.54	1.52	80	121.60
43	JEEET RAM CONTRACTOR	OWN/2023-24/P/7/04.08.2023	17/20.06.2023	WASING SAND	50	1.42	1.62	2.30	80	184.00
Total										129140.80
Penalty @ 25 %										32285.20
ग्रुप तिरफ										161426.00



Secretary
Gram Panchayat
Dev Block Maheshpur (Solan) H.P.

Signature
SARSHAR KUMAR

-34- *NO*

ग्राम पंचायत नेही द्वारा चित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 09/2022 व 08/2023 में औपचारिकताओं को पूर्ण किये गये बिना क्रय किये गये सामग्री/सर्विस ₹ 17.13 लाख की की मूल्य

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वार्ड सं ० / दिनांक	बिल सं ०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशी	टिप्पणी
निर्माण लिक रोड नजदीक कोरव कम्पनी गॉव कोलिमजरा	RK Tiles & Pavers	VMIS/2022-23/P/2-01.09.2022	354 / 27.08.2022	interlock tiles 80mm	2670	15	47259.00	दो अखबारों में निविदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
			355 / 27.08.2022	interlock tiles 80mm	2670	15	47259.00	
			356 / 27.08.2022	interlock tiles 80mm	2670	15	47259.00	
	Nilita Enterprises		299 / 10.08.2022	interlock tiles 80mm	1500	15	26550.00	
			300 / 10.08.2022	interlock tiles 80mm	1500	15	26550.00	
			363 / 14.09.2022	interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	
	RK Tiles & Pavers	VMIS/2022-23/P/4-15.09.2022	364 / 14.09.2022	interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	
			365 / 14.09.2022	interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	
			366 / 14.09.2022	interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	
			367 / 14.09.2022	interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	
			368 / 14.09.2022	interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	
			369 / 14.09.2022	interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	
			370 / 14.09.2022	interlock tiles 80mm	1100	15	19470.00	
Visha Chauhan	VMIS/2022-23/P/5-16.09.2022	11/2022-23 / 16.09.2022	JCB Service	25	1000	56050.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गईं	
		16.09.2022	Tipper materials shifting	15	1500			
ग्राम पंचायत नेही	Sharma Battery House	OWN/2022-23/P/27-01.09.2022	123 / 10.08.2022	Inverter Batry	1	6700	8576.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
खाता निर्माण सिवरेज जगदीश चंद के घर से खरा मंदिर तक मखनुमाजरा	Ruhani Construction & Concrete Works	OWN/2022-23/P/28-01.09.2022	167 / 26.08.2022	18" RCC Pipe	40	1950	92040.00	केवल दो निविदायें प्रस्तुत की गईं
खाता निर्माण जंज घर कोबी भाजरा		OWN/2022-23/P/33-01.09.2023	1212 / 25.08.2022	TMT Bar 8mm	15.8	65.5	16987.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				TMT Bar 12 mm	199.9	82.5		
				Wainding wire	3 kg	80		
				Conduite Pipe 2mm	15	100		
			1226 / 26.08.2022	Conduite Bend 2mm	12	17	2782.00	
				F Box	4	100		
				Manhole Cover	6	1900	13452.00	
खाता निर्माण सिवरेज जगदीश चंद के घर से खरा मंदिर तक मखनुमाजरा	R.V.M. Industries	OWN/2022-23/P/38-15.09.2023	944 / 21.09.2022	Sand	30	30	3772.50	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
				Agg.	55	30		दो अखबारों में निविदायें की माँग हेतु विज्ञापन ना देना
खाता निर्माण जंज घर मखनुमाजरा	Mandal Lal	OWN/2022-23/P/40-15.09.2023	747 / 10.09.2022	Jab Work exsting slab lifting & Brick work in Village: Makhan Majra	680	155	124372.00	प्रस्ताव रजिस्टर में निविदाओं को अंकित न करना
गम पंचायत नेही	Ganga Sweets	OWN/2022-23/P/35-15.09.2023	1702 / 15.08.2022	चाय कप समोसा नहू	120 120 3 kg	10 10 150	2850.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गईं

Secretary
Gram Panchayat
Dr. Prashant Kumar (Socio) H.P.

ग्राम पंचायत लेही	SOFTECH COMPUTERS	OWN/2022-23/P/36 - 15.09.2023	22-23/0512 - 27.08.2022	Printer Repair Service Charges Toner Compatible	1	600	1300.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
खाता निर्माण जंग घर लेही BBNDA	Manpura Tiles & Hardware	XVFC/2023-24/P/14 - 22.08.2023	959 / 21.08.2023	12mm TMT Bar Labour Kiraya Treclaer	893.7	69.5 300 1000	74826.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
नि० रख रखाव गली चंद लाल के घर से कुण्ठा #47 भाग सिंह के घर तक मखनु माजरा	RK Tiles	XVFC/2022-23/P/64 - 03.09.2022	360/02.09.2022	Concrete Manhole with frame	1	950	1121.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
नि० सिवरेज संत राम के घर से रामजी के घर तक लेही	Ruhani Construction and concrete Works	XVFC/2022-23/P/65 - 03.09.2022	200 / 08-09-2022	12" RCC Pipe	8	1350	12744.00	केवल दो निवीदायें प्रस्तुत की गईं
नि० सिवरेज संत राम के घर से रामजी के घर तक लेही	RK Tiles & Pavers	XVFC/2022-23/P/67 - 03.09.2022	345 / 10.08.2022	Concrete Manhole with frame	5	850	5015.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
नि० सिवरेज गली मातु राम के घर से मास्टर रामकरण के घर तक गाँव मखनुमाजरा	Ruhani Construction and concrete Works	XVFC/2022-23/P/68 - 12.09.2022	205 / 10.09.2022	6" RCC Pipe	2	750	1770.00	केवल दो निवीदायें प्रस्तुत की गईं
नि० रख रखाव गली व तरसेम के घर से मराज के घर तक	Jeet Ram Contractor	XVFC/2022-23/P/69 - 27.09.2022	280 / 15.12.2022	24" RCC Pipe Wash Sand Brick Local Earth Filling	29 50 2500 18145	3500 30 7 6.25	119770.00	
खाता निर्माण चार दिवारी व फिलिंग शिवमन्दिर लेही	Madan Lal	OWN/2023-24/P/10 - 04.08.2023	890 / 06.07.2023	MS Angle(Podi)	80 Kg.	90	8496.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
ग्राम पंचायत लेही		OWN/2023-24/P/10 - 10.08.2023	914 / 06.08.2023 912 / 09.08.2023	Garden Pipe 16 mm TMT Bar 12 mm TMT Bar 8 mm TMT Bar 10mm TMT Bar Winding wire Nut Bolt Patti for shuteering Labour	18 893.8 278.4 99.4 647.6 25 25 20 900	135 69.5 69.5 72 70 100 100 100	2881.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
खाता निर्माण जंग घर लेही BBNDA	Manpura Tiles & Hardware	OWN/2023-24/P/8 - 10.08.2023	1389 / 02.07.2023	Kiraya tractor 02 round Samosa Tea cup Gulav Jamun Barfi Samosa Tea cup Gulav Jamun Barfi	2 120 120 3 Kg 2 Kg 125 125 3 Kg 2 Kg	1000 10 10 160 460 10 10 160 460	3800.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
ग्राम पंचायत लेही	विजय डाबा	OWN/2023-24/P/9 - 10.08.2023	1389 / 02.07.2023	Superm ECO Drain pipe 315mm, 6Mtrs Brick	16 4000	9510 7.2	180729.00	निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं
नि० सिवरेज जीतराम के घर से मेनगली तक मखनुमाजरा	Topsell Flow Systems	XVFC/2023-24/P/4 - 02.08.2023	224 / 03.07.2023	Angle Door Window frame Door window shutter Reta Bajri Gaika	94.8 52 350 250 350	90 180 30 30 15	79444.00	दो अखबारों में निवीदायें की माँग हेतु विज्ञापन
खाता निर्माण अतिरिक्त राशी जंग घर मखनुमाजरा	RK Tiles & Pavers	XVFC/2023-24/P/5 - 10.07.2023	499 / 10.07.2023 500 / 10.07.2023 498 / 10.07.2023					निवीदायें प्रस्तुत नहीं की गईं

खता निर्माण अमबुलस रोड से राम चंद व रणजीत भखनसाजरा	Ruhani Construction and concrete Work	XVFC/2023-24/P/10- 29.08.2023	065 / 22.08.2023	6 " RCC Pipes without collar	9	800	8496.00	केवल दो निवीदायें प्रस्तुत की गईं
खता निर्माण सीवरेंज बिक रोड से लेकर जीतराम व दलीप चंद के घर तक नजदीक जोगासाडी भखनसाजरा GPRसे BDC	Ruhani Construction and concrete Work	XVFC/2023-24/P/11- 29.08.2023	063 / 22.08.2023	12 " RCC Pipes (300mm) with collar	18	1300	27612.00	केवल दो निवीदायें प्रस्तुत की गईं
खता निर्माण सिवरेजजीतराम के घर से मेनवारी तक गॉव भखन साजरा	RK Tiles & Pavers	XVFC/2023-24/P/12- 29.08.2023	513 / 28.08.2023	Bajri	100	30	2642.00	दो अखबारों में निवीदायें की शॉन हेतु विज्ञापन ता देना
				Rela	50	30		
				Stone Dust	235	25		
				RCC Chamber 24"x24"	1	1700		



Gram Panchayat
Sahas Nigraha (Sahas) H.P.

[Signature]

-48

42

ग्राम पंचायत लेही द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 09/2022 व 08/2023 में विभिन्न निर्माण कार्यों के माप पुस्तिका अवलोकन पर निम्न विसंगतियों के कारण किये गये ₹ 2.20 लाख के अनियमित भुगतान का व्योरा

निर्माण कार्य लिंक रोड नजदीक कोरब कम्पनी गाँव कोलिमजरा की जांच के दौरान पाया गया कि अनियमित माप गणना के कारण ₹2,19,633.00 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है: -

कार्य स्वीकृति संख्या :PLG. SLN. (F)5-13/2022-VMJS-464 दिनांक : 17.06.2022			
प्रस्ताव संख्या : 05 दिनांक : 25.07.2022			
शेल्फ क्रमांक संख्या :VMJS		कार्य स्वीकृत राशि: 8,50,000	
कुल व्यय राशि: 8,50,000		मापन पुस्तिका संख्या :3312 पृष्ठ संख्या :35 से 37	
1. Error: Recording additional width of P/L Paver Block as compare for bed/base in which road i.e. Soiling 63mm to 45mm In item no.2 Soiling in road base had done in three length i.e. $2 \times 15 \times 2.9 \times (0.15 + 0.20 + 0.90/3) = 18.85 \text{ M}^3$ and $1 \times 210 \times 2.90 \times 0.116 = 70.64 \text{ M}^3$, but while measing Item No. 3 "P/L Paver Block 80mm. the width were measured 2.9 to 6.0 Mtrs in different length. Maximum width as per base i.e., soiling is 2.9 and both side locking of max. 0.15×2 needs to reduce from both side, that means width should came to max. 2.6 Mtrs. $[2.90 \text{ (soiling width)} - 0.15 \times 2 \text{ (both sides locking of Paver block)}]$.			
2. Error: Recording additional width and height in P/L both side locking of Paver Block as compare for bed/base in which road i.e. Soiling 63mm to 45mm & P/L Paver Block In item no.2 Soiling in road base had done in three length i.e. $2 \times 15 \times 2.9 \times (0.15 + 0.20 + 0.90/3) = 18.85 \text{ M}^3$ and $1 \times 210 \times 2.90 \times 0.116 = 70.64 \text{ M}^3$, but while measing Item No. 4 "P/L Paver Block 80mm. the width were measured 2.9 to 6.0 Mtrs in different length. Maximum width as per base i.e., soiling is 2.9 and both side locking of max. 0.15×2 needs to reduce from both side, that means width should came to max. 2.6 Mtrs. $[2.90 \text{ (soiling width)} - 0.15 \times 2 \text{ (both sides locking of Paver block)}]$. Which may also be fully justified and duly checked and verified from the next higher technical authority otherwise recovery be effected accordingly. This error has resulted in excess payment as under: -			
Measurement as recorded in MB/	Measurement needs to be record in MB	Excess Qty measured & paid	Excess Payment (₹)
MB 3312 Page No. 36 Item No. 3 P/L Paver Block 80mm $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 \text{ M}^2$	MB 3312 Page No. 36 Item No. 3 P/L Paver Block 80mm (width should be maximum width of base soiling work less both side locking (i.e. $2.90 - 2 \times 0.15 = 2.60 \text{ Mtrs.}$) $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$	$777.07 \text{ M}^2 - 624.00 \text{ M}^2 = 153.07 \text{ M}^2 @$ $₹ 867.70 / \text{M}^2$	132819/-

43



Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

Technical Assistant
Circle. Malpur. P.O. Lohi
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

$1 \times 15 \times 3.0 = 45.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times (2.9+3.0)/2 = 44.25 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times (2.9+3.2)/2 = 45.75 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times (3.2+3.65)/2 = 51.37 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.90 = 43.50 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.90 = 43.50 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 3.60 = 54.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 3.60 = 54.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 3.60 = 54.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 3.60 = 54.00 \text{ M}^2$ $1 \times 9.50 \times 3.60 = 34.20 \text{ M}^2$ $1 \times 6.0 \times (6.0+3.5)/2 = 28.50 \text{ M}^2$ Total = 777.07 M ² (Total length of link road was measured 240.50 Mtrs i.e. 0.50 Mtrs extra as compare with Base soiling).	$1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 15 \times 2.6 = 39.00 \text{ M}^2$ $1 \times 9.50 \times 2.60 = 24.70 \text{ M}^2$ $1 \times 5.5 \times 2.6 = 14.30 \text{ M}^2$ Total = 624.00 M ² (Total length of link road was measured 240.50 Mtrs i.e. 0.50 Mtrs extra as compare with Base soiling).		
Page No. 37 Item No. 5 P/L CC 1:3:6 for locking both side $2 \times 120.00 \times 0.23 \times 0.30 = 16.56 \text{ M}^3$ $2 \times 120.00 \times 0.30 \times 0.075 = 5.40 \text{ M}^3$ Total = 21.96 M ³	Page No. 37 Item No. 5 P/L CC 1:3:6 for locking both side $2 \times 120.00 \times 0.15 \times 0.13 = 4.68 \text{ M}^3$ $2 \times 120.00 \times 0.15 \times 0.075 = 2.70 \text{ M}^3$ Total = 7.38 M ³ Width of lock as compare with base i.e. soiling area is 2.9 less paver block i.e. (2.90-2.60)=0.30 (0.15+0.15 both side locking) Height of locking max should be paver block height + sand fill (i.e. 0.08+0.05 = 0.13 Mtrs)	21.96 M ³ - 7.38 M ³ = 14.58 M ³ @ ₹5954.35/ M ³	86814.00
Total extra payment			2,19,633.00

अनुमति: 51

DARSHAN KUMAR

DK 9/8/24



Secretary
Gram Panchayat
Dev Block Nalagarh (Solan) H.P.

Armal Singh

Technical Assistant

Circle... malpur G.P. - lehu'

Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.

42

JE-III

C. P. W. A.-23

..... Division

..... Sub-Division

MEASUREMENT BOOK

- I WMP - II

3312

रा.मु., हि.प्र., शिमला-2276-मु.ले.सा./12-26.4-12-15,000 पु०

Arimal Singh

Technical Assistant

Circle *malpaur* *Ch. Lohi*

Dev. Block Nalagarh (Solani) H.P.



DL
Secretary
Gram Panchayat *Len*
Dev. Block Nalagarh (Solani) H.P.

44

-43

Sanctioned and Passed for Rs. 8.50,000 Rupees
All ready, Paid 128 425000 -
Now Paid 21 425000 -

Report of Actual
Measurements for Coverage

[illegible]

Technical Assistant
Circle...malpur...

C.P.W.A. 23

37



Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Nalaguri (Solari) H.P.

Sanction Number: PLG.SLN.(F)5-13/2022-VMJS -464

Office of the Deputy Commissioner, SOLAN (H.P.)

Date: 17/06/2022

Sanction Order

The administrative approval and expenditure sanction for the following work(s) is/are hereby accorded for the

Year: 2022-2023

Executing Agency: BDO, NALAGARH

Under Head: VMJS

Scheme ID and Name	Panchayat	Sector	Sanctioned Amount	Share Distribution
1/2022/6, C/O (Construction of) LINK ROAD NEAR CROMPTON INDUSTRY VILLAGE KOLIMAJRAMohal:	Lehi	VMJS	850000	Govt. Share Construction: 722500 Govt. Share Maintenance: 72250 Public Share Construction: 127500 Public Share Maintenance: 12750

Total Schemes: 1

Total Amount: 850000

The above Sanction(s) is/are subject to the following conditions:

1. The sanctioned Work(s) will preferably be got executed through the concerned Depts./Departmental technical manpower available in the District/Pradesh.
2. The work(s) should be executed in accordance the approved estimate(s) and design of buildings/structure should be earthquake and other disaster resistant with provision of rain water harvesting system. The Technical Officer/authority that technically approved the estimates will also be competent to assess the work(s) and authorize the disbursement of payments.
3. The expenditure should be restricted to the actual amount sanctioned during the relevant financial year.
4. All the payments should be made on regular bills/vouchers duly entered in the measurements book(s). The work(s) should be completed within relevant financial year or within one year from the date of sanction.
5. The estimate(s) of the proposed work(s) should not contain departmental charges.
6. The sanctioned developmental work(s) should lead to a community/area benefit.
7. The UC/CC of the sanctioned work(s) should invariably be sent to this office as per the time schedule fix for the completion of the work(s).
8. The sanctioned funds can however partly be utilized for the purchase of materials/equipments needed for the work/projects and should be consumable in the process of implementation but no store articles can be purchased.
9. The revision of estimate(s) sanctioned(s) is not allowed.
10. To avoid delays in the execution of the sanctioned developmental work(s) as per the time schedule(s) fixed the executive agency(ies) should necessary get N.O.C from the concerned departments / board(s) corporation(s) forest/ nagar panchayat(s) etc. and in case of private land involved for the execution of the sanctioned work(s) N.O.C (s) on the affidavit from the private land owner (s) should invariably be obtained well in advance and necessary entries in the revenue record be got effected as funds can not be used for payments of any type of compensation.
11. Besides these, all other codal formalities including those contained in guidelines should be strictly adhered to.
12. The monthly physical and financial progress report be sent to this office by the 10th of every month.
13. No recurring revenue expenditure will be provided under the scheme.

Endst. No. as above

- 1 BDO, NALAGARH With the request to initiate above works immediately. UC & CC should be sent to this office after the completion of Work
- 2 Copy to Gaurd File

By Order,
Deputy Commissioner
District SOLAN (H.P.)

District Planning Officer
District SOLAN (H.P.)

Printed Sanction Order for UDA VMJS/2022/6, 1 Scheme(s) Amounting Rs. 850000/-

NIC Hamachal Pradesh

planning to govt. for sanction aspx

Technical Assistant

Circle: malpur, G.P. Lehi

Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.



Secretary
Gram Panchayat Lehi
Dev Block Nalagarh (Solan) H.P.

-464-

Rec

G.P. - L.H.H.

Fund	Voucher No.	Date	Name of work	Santion Amount	Amount Received	MB No.	MB Page No.
VMJS	VMJS/2022-23/P/1	01.09.2022	निर्माण लिंक रोड नजदीक कोरब कम्पनी गाँव कोलिमजरा	8,50,000-	8,50,000-	3312	357037
			निर्माण लिंक रोड नजदीक कोरब कम्पनी गाँव कोलिमजरा	8,50,000-			

Primal Singh
Technical Assistant
Circle. mappur. G.P. - L.H.H.
Dev. Block Nalagarh (Solan) H.P.



01/09/2022
Secretary
Gram Panchayat Leri
Dev Block Nalagarh (Solan) H.P.

48

परिशिष्ट " 21 " , पैरा संख्या " 12.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत लेही द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 09/2022 व 08/2023 में क्रय किये गये ₹ 9.81 लाख की सामग्री की सूची निःप्राप्त है।
रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है।

क्र.सं०	आपूर्तिकर्ता	वत० सं० / दिनांक	वित्त सं० / दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	राशि
1	Nitika Enterprises	VMJS/2022-23/P/2 - 01.09.2022	300 / 10.08.2022	Interlock tiles 80mm	1500	15	26550
2	Sharma Battery House	OWN/2022-23/P/27 - 01.09.2022	123 / 10.08.2022	Inverter Batry	1	6700	8576
3	Ruhani Construction & Concrete Works	OWN/2022-23/P/28 - 01.09.2022	167 / 26.08.2022	18" RCC Pipe	40	1950	92040
4	Manpura Tiles & Hardware	OWN/2022-23/P/33 - 01.09.2023	1226 / 26.08.2022	Conduite Pipe 2mm Conduite Bend 2mm F Box	15 12 4	100 17 100	2782
5	R.V.M. Industries	OWN/2022-23/P/38 - 15.09.2023	944 / 21.09.2022	Manhole Cover	6	1900	13452
6	R.K. Tiles & Pavers	XVFC/2023-24/P/14 - 22.08.2023	350 / 25.08.2022	Sand Agg.	30 55	30 30	3772.5
7	Manpura Tiles & Hardware	XVFC/2022-23/P/64 - 03.09.2022	959 / 21.08.2023	12mm TMT Bar	893.7	69.5	74826
8	RK Tiles	XVFC/2022-23/P/65 - 03.09.2022	360/02.09.2022	Concrete Manhole with frame	1	950	1121
9	Ruhani Construction and concrete Works	XVFC/2022-23/P/67 - 03.09.2022	200 / 08-09-2022	12" RCC Pipe	8	1350	12744
10	RK Tiles & Pavers	XVFC/2022-23/P/67 - 03.09.2022	345 / 10.08.2022	Concrete Manhole with frame	5	850	5015



Secretary
Gram Panchayat
Dev Block Nalgonda (Jodan) M.P.

DAKSHINAM

11	Ruhani Construction and concrete Works	XVFC/2022-23/P/68 - 12.09.2022	205 / 10.09.2022	6" RCC Pipe	2	750	1770
12		XVFC/2022-23/P/69 - 27.09.2022	280 / 15.12.2022	24" RCC Pipe	29	3500	119770
13	Jeet Ram Contractor	OWN/2023-24/P/7 - 04.08.2023	17 / 20.06.2023	Wash Sand	50	30	
				Brick	2500	7	
				Local Earth Filling	18145	6.25	139026
14	Madan Lal	OWN/2023-24/P/10 - 10.08.2023	890 / 06.07.2023	MS Angle(Podi)	80 Kg.	90	8496
15			914 / 06.08.2023	Garden Pipe	18	135	2881
				16 mm TMT Bar	893.8	69.5	
				12 mm TMT Bar	278.4	69.5	
				8 mm TMT Bar	99.4	72	
			912 / 09.08.2023	10mm TMT Bar	647.6	70	169737.9
				Waiinding wire	25	100	
				Nut Bolt	25	100	
				PATTI FOR SHUTTERING	20	100	
17	Topsell Flow Systems	XVFC/2023-24/P/4 - 02.08.2023	224 / 03.07.2023	Superm ECO Drain pipe 315mm, 6Mtrs	16	9510	180729
			499 / 10.07.2023	Brick	4000	7.2	
			500 / 10.07.2023	Angle Door Window frame	94.8	90	
				Door window shutter	52	180	
				Reta	350	30	79444
			498 / 10.07.2023	Bajri	250	30	
				Gatka	350	15	
19	Ruhani Construction and concrete Works	XVFC/2023-24/P/10 - 29.08.2023	065 / 22.08.2023	6 " RCC Pipes without collar	9	800	8496
20	Ruhani Construction and concrete Works	XVFC/2023-24/P/11 - 29.08.2023	063 / 22.08.2023	12 " RCC Pipes (300mm) with coll	18	1300	27612
				Bajri	100	30	
			513 / 28.08.2023	Reta	50	30	
				Stone Dust	235	25	2642
22			514 / 24.08.2023	RCC Chamber 24"x24"	1	1900	
				कुल राशी			981482.40

परिशिष्ट " 21 ", पैरा संख्या " 13 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत लेही द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित भार 09/2022 व 08/2023 के वोडचरों में सोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.05 लाख की वसूली न करने की सूची

कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता	वा0 सं ० / दिनांक	बिल सं ० / दिनांक	भद् का नाम	मात्रा	दर	गुप्तान की की दर	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
निर्माण लिंक रोड नजदीक कोरव कम्पनी गाँव कोलिमजरा	RK Tiles & Pavers	VMJS/2022-23/P/2 - 01.09.2022	354 / 27.08.2022	Interlock tiles 80mm	2670	15	47259.00	1%	472.59
			355/ 27.08.2022	Interlock tiles 80mm	2670	15	47259.00	1%	472.59
		356 / 27.08.2022	Interlock tiles 80mm	2670	15	47259.00	1%	472.59	
		363 / 14.09.2022	Interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	1%	477.90	
		364 / 14.09.2022	Interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	1%	477.90	
		365 / 14.09.2022	Interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	1%	477.90	
		366 / 14.09.2022	Interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	1%	477.90	
		367 / 14.09.2022	Interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	1%	477.90	
		368 / 14.09.2022	Interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	1%	477.90	
		369 / 14.09.2022	Interlock tiles 80mm	2700	15	47790.00	1%	477.90	
		370 / 14.09.2022	Interlock tiles 80mm	1100	15	19470.00	1%	194.70	
		VMJS/2022-23/P/4 - 15.09.2022							
कुल राशी								4957.77	



Gram Panchayat Lehi

24/09/2024

24/09/2024

- 3

